राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1278/2025

महबूब अली —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खेतड़ी, जिला झुंझुंनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाउ, खेतडी, झुंझुंनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से एमडीएम चिकित्सालय, जोधपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के राजस्थान पंचायत राज (स्थानान्तरण क्रियाकलाप) नियम—2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाउ, खेतडी, झुंझुंनू में निरन्तर कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाउ, खेतडी, झुंझुंनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश

दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से एमडीएम चिकित्सालय, जोधपुर में किया गया है। मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य